न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 162/2019

अनवान :

1. राजवीर सिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुमन पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. निर्मला पुत्री महेन्द्र सिंह पत्नी संदीप जाति जाट निवासी महराना हाल बनगांव तहसील व जिला फतेहाबाद हरियाणा
4. बैंक एस.बी.आई. एडीबी शाखा छानीबडी जरिऐ शाखा प्रबन्धक।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचन्द वर्मा : **वादी**

वकील श्री अक्षय कुमार वर्मा : **प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

निर्णय **दिनांक : 30/01/2020**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 4 एमआरएन की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 के खाता सं0 15/15 के मु0नं0 6 के किला नं0 3 ता 5 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 बारानी कुल 0.759 है0 बारानी में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है और चक 5 एमआरएन की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 75 के खाता सं0 27/26 के मु0नं0 3 के किला नं0 2 ता 5 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 बारानी, किला नं0 6 ता 9 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 बारानी मय प्रत्येक किला में गैर मु0 रास्ता 0.013 है0 मु0नं0 4 के किला नं0 1 की 0.253 है0 बारानी, किला नं0 10 की 0.253 है0 बारानी मय गैर मु0 रास्ता 0.013 है0 कुल 2.530 है0 बारानी 2.465 है0 गैर मु0रास्ता 0.065 है0 में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है चक नं0 6 एमआरएन की जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के खाता सं0 23/22 के मु0नं0 85 के किला नं0 10, 11, 20, 21 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 बारानी मु0नं0 86 के किला नं0 6 ता 9, किला नं0 12 ता 19 किला नं0 22 ता 25 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 बारानी कुल 5.060 बारानी में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है चक नं0 7 एमआरएन की जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के खाता सं0 27/23 के मु0नं0 1 के किला नं0 12 की 0.228 है0 नहरी किला नं0 13 व 14, किला नं0 16 ता 19, किला नं0 22 ता 25 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 नहरी, मु0नं0 2 के किला नं0 19 ता 22 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 नहरी मु0नं0 60 के किला नं0 1 की 0.253 है0 नहरी मय गैर मु0 खाला 0.025 है0 किला नं0 10 की 0.253 है0 नहरी मु0नं0 61 के किला नं0 4 व 5 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 बारानी मय प्रत्येक किला में गैर मु0 खाला 0.025 है0 किला नं0 6 व 7, किला नं0 14 ता 17, किला नं0 23 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0 बारानी

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

कुल 7.059 है0, नहरी 4.251 है0 बारानी 2.733 है0 गैर मु0 खाला 0.075 है0 में से प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज है और चक नं0 8 एमआरएन की जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के खाता सं0 15/17 के मु0नं0 39 के किला नं0 6 ता 9, किला नं0 12 ता 19 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 नहरी कुल 3.036 है0 नहरी भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है।

उक्त वाद भूमि हिन्दू खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र सिंह को वादी के दादा अमरसिंह से विरासतन प्राप्त हुई है जो भू–प्रबंध विभाग जमाबन्दी सम्वत् 2029–38 चक नं0 4एमआरएन के खाता सं0 36 और चक नं0 5 एमआरएन के खाता सं0 68 और चक नं0 6 एमआरएन के खातासं0 40 और चक नं0 7 एमआरएन के खाता सं0 35 और चक 8 एमआरएन के खाता सं0 40 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा है जो वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 प्रत्येक का उक्त भूमि में 1/8 हक व हिस्सा है।

उक्त वाद भूमि बाबत हम पक्षकारान में पारिवारिक समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 प्रत्येक को उक्त भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई है इसी अनुसार वे काश्त करते चल आ रहे है और प्रतिवादीया सं0 2 व 3 वादी की बहिने है जिन्होने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के हक में बहिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहता है जिसके लिए उसे केसीसी ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी पारिवारिक समझौता एवं बंटवरा अनुसार अर्जीदावा की मद सं0 3 में दर्ज वाद भूमि चक 4 एमआरएन के खाता सं0 15/15 की कुल 0.759 है0 बारानी, चक नं0 5 एमआरएन के खाता सं0 27/26 की कुल 2.530 है0 बारानी 2.465 है0 गैर0मु0रास्ता 0.065 है0 चक नं0 6 एमआरएन के खाता सं0 23/22 की कुल 5.060 है0 बारानी चक नं0 7 एमआरएन के खाता सं0 27/23 की कुल 7.059 है0 नहरी 4.251 है0 बारानी 2.733 है0 गैर0मु0 खाला 0.075 है0 और चक 8 एमआरएन के खाता सं0 15/17 की कुल 3.036 है0 नहरी के प्रत्येक खाता की भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि के वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार है इसी अनुसार वादी हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 4 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में स्वयं वादी राजवीर सिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 4एमआरएन के खाता सं0 15/15 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 5एमआरएन के खाता सं0 27/26 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 6एमआरएन के खाता सं0 23/22 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 3, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 7एमआरएन के खाता सं0 27/23 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 4, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 8एमआरएन के खाता सं0 15/17 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 5, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 4 महराना सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 6, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 5 महराना सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 7, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 6 महराना सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 8, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 7

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

महराना सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 9, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 8 महराना सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 10, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 11 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा वकील वादी की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद, वादी ने चक 4, 5, 6, 7, 8 एमआरएन के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने दावा में जाहिर किया है कि वाद भूमि हिन्दू खानदान की जद्दी जायदाद है तथा वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र सिंह को वादी के दादा अमरसिंह से विरासतन प्राप्त हुई है जिसकी पुष्टि में वादी ने प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 4 महराना सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 6, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 5 महराना सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 7, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 6 महराना सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 8, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 7 महराना सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 9, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 8 महराना सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 10 प्रदर्शित करवाये है जिसमें वाद भूमि वादी के दादा अमरसिंह वल्द शादी के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि वादी दादालाई व प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र सिंह को विरासतन प्राप्त होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 11 में प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्रसिंह के वारिसान में पत्नी रूकमा देवी, एक पुत्र राजवीर सिंह, दो पुत्रियां निर्मला व सुमन होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने मुताबिक राजीनामा वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 4 एमआरएन की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 के खाता सं0 15/15 व मु0नं0 6 के किला नं0 3 ता 5 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 बारानी कुल 0.759 है0 बारानी में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है और चक 5 एमआरएन की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 75 के खाता सं0 27/26 के मु0नं0 3 के किला नं0 2 ता 5 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 बारानी, किला नं0 6 ता 9 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 बारानी मय प्रत्येक किला में गैर मु0 रास्ता 0.013 है0 मु0नं0 4 के किला नं0 1 की 0.253 है0 बारानी, किला नं0 10 की 0.253 है0 बारानी मय गैर मु0 रास्ता 0.013 है0 कुल 2.530 है0 बारानी 2.465 है0 गैर मु0रास्ता 0.065 है0 में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है चक नं0 6 एमआरएन की जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के खाता सं0 23/22 के मु0नं0 85 के किला नं0 10, 11, 20, 21 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 बारानी मु0नं0 86 के किला नं0 6 ता 9, किला नं0 12 ता 19 किला नं0 22 ता 25 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 बारानी कुल 5.060 बारानी में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है चक नं0 7 एमआरएन की जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के खाता सं0 27/23 के मु0न0 1 के किला नं0 12 की 0.228 है0 नहरी किला नं0 13 व 14, किला नं0 16 ता 19, किला नं0 22 ता 25 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 नहरी, मु0नं0 2 के किला नं0 19 ता 22 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 नहरी मु0नं0 60 के किला नं0 1 की 0.253 है0 नहरी मय गैर मु0 खाला 0.025 है0 किला नं0 10 की 0.253 है0 नहरी मु0नं0 61 के किला नं0 4 व 5 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 बारानी मय प्रत्येक किला में गैर मु0 खाला 0.025 है0 किला नं0 6 व 7, किला नं0 14 ता 17, किला नं0 23 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0 बारानी कुल 7.059 है0, नहरी 4.251 है0 बारानी 2.733 है0 गैर मु0 खाला 0.075 है0 में से प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज है

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

और चक नं0 8 एमआरएन की जमाबन्दी सम्वत् 2074—77 के खाता सं0 15 / 17 के मु0नं0 39 के किला नं0 6 ता 9, किला नं0 12 ता 19 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 नहरी कुल 3.036 है0 नहरी भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 1 दोनों बहिस्सा बराबर अर्थात् प्रत्येक 1 / 4—1 / 4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने अपना संपूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 प्रत्येक के नाम 1 / 4—1 / 4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30-01-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारेठ)
R.A.S.
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 162/2019

अनवान :

1. राजवीर सिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुमन पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. निर्मला पुत्री महेन्द्र सिंह पत्नी संदीप जाति जाट निवासी महराना हाल बनगांव तहसील व जिला फतेहाबाद हरियाणा
4. बैंक एस.बी.आई. एडीबी शाखा छानीबडी जरिऐ शाखा प्रबन्धक।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनमचन्द वर्मा एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 3 श्री अक्षय कुमार वर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 4 एमआरएन की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 के खाता सं0 15/15 के मु0नं0 6 के किला नं0 3 ता 5 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 बारानी कुल 0.759 है0 बारानी में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है और चक 5 एमआरएन की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 75 के खाता सं0 27/26 के मु0नं0 3 के किला नं0 2 ता 5 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 बारानी, किला नं0 6 ता 9 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 बारानी मय प्रत्येक किला में गैर मु0 रास्ता 0.013 है0 मु0नं0 4 के किला नं0 1 की 0.253 है0 बारानी, किला नं0 10 की 0.253 है0 बारानी मय गैर मु0 रास्ता 0.013 है0 कुल 2.530 है0 बारानी 2.465 है0 गैर मु0रास्ता 0.065 है0 में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है चक नं0 6 एमआरएन की जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के खाता सं0 23/22 के मु0नं0 85 के किला नं0 10, 11, 20, 21 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 बारानी मु0नं0 86 के किला नं0 6 ता 9, किला नं0 12 ता 19 किला नं0 22 ता 25 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 बारानी कुल 5.060 बारानी मे से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है चक नं0 7 एमआरएन की जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के खाता सं0 27/23 के मु0न0 1 के किला नं0 12 की 0.228 है0 नहरी किला नं0 13 व 14, किला नं0 16 ता 19, किला नं0 22 ता 25 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 नहरी, मु0नं0 2 के किला नं0 19 ता 22 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 नहरी मु0नं0 60 के किला नं0 1 की 0.253 है0 नहरी मय गैर मु0 खाला 0.025 है0 किला नं0 10 की 0.253 है0 नहरी मु0नं0 61 के किला नं0 4 व 5 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 बारानी मय प्रत्येक किला में गैर मु0 खाला 0.025 है0 किला नं0 6 व 7, किला नं0 14 ता 17, किला नं0 23 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0 बारानी कुल 7.059 है0, नहरी 4.251 है0 बारानी 2.733 है0 गैर मु0 खाला 0.075 है0 में से प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज है और चक नं0 8 एमआरएन की जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

खाता सं0 15/17 के मु0नं0 39 के किला नं0 6 ता 9, किला नं0 12 ता 19 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 नहरी कुल 3.036 है0 नहरी भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 1 दोनों बहिस्सा बराबर अर्थात् प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने अपना संपूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 प्रत्येक के नाम 1/4–1/4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से ज़ारी की गई।

(मुकेश बारेठ)
उपखण्डाधिकारी R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.19 13:04:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: